UPSB040143712021

न्यायालय Addl. Chief Judicial Magistrate, Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी- (Vineeta Singh-I)**, (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)-UP01985**

मुकदमा नम्बर–11667 / 2021,

पखण्डू बनाम दिनेश पासवान व अन्य,

थाना–राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

14.03.2023:–

पत्रावली तलबी आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार से है कि परिवादी घुवास कलां, थाना राबर्ट्सगंज, सोनभद्र का रहने वाला गरीब परिवार का सदस्य है। घटना दिनांक 10.12.2020 सायं काल करीब 7.00 बजे की है। परिवादी राबर्ट्सगंज में बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से मजदूरी करके दुकान में ड्राईबर से 1000/–रू0 कर्ज खेती के लिए लेकर घर जा रहा था कि करीब सायं 7.00 बजे ज्यों ही रेलवे क्रासिंग पुलिया/घुवास के पास पहुंचा की दो व्यक्ति पुलिया पर गमछा से मुंह बांध कर बैठे थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने परिवादी को देखते ही कहा कि अरे सुर्ती दो तो परिवादी बोला कि सुर्ती नहीं है तो उसने दोबारा गाली देते हुए कहा कि पखण्डुआ अब तो तुमसे सुर्ती लेकर ही रहेंगे। आवाज से परिवादी पहचान लिया कि विपक्षी सं.–1 है। इतने में वह आकर परिवादी के साथ मार पीट करते हुए परिवादी को रेलवे क्रासिंग के किनारे पटक कर हाथ, मुक्के से मारने लगा तब तक दूसरा व्यक्ति अमरजीत ललकारा कि साले जो लिया हो छीन लो पखण्डुआ ही है। इतने में अमरजीत परिवादी को पैर से दबा दिया और दोनों मिल परिवादी के जेब से 1000/–रू0 लूट लिए तथा धमकी दिये कि कहीं सूचना दिये तो काट कर रेलवे लाइन पर फेंक दिया जायेगा। परिवादी को मार पीट से काफी चोटें आयी व खून से पूरा शरीर लहुलूहान हो गया। किसी तरह घर जाकर पत्नी के साथ रात्रि में ही कोतवाली राबर्ट्सगंज जाकर सूचना दिया तथा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा व पट्टी बंधवा कर वापस घर चला आया। सुबह पुनः कोतवाली जाकर अपना मेडिकल करवाने व कार्यवाही के बारे में पुलिस वालों से कहा तो वे आना–कानी करते हुए कहे कि रूपये की बात निकालोगे। तब मुकदमा लिखी जायेगी। कोतवाली पुलिस द्वारा विपक्षीगण को पकड़कर कोतवाली में बैठाया गया था। परिवादी दरोगा प्रेमशंकर मिश्रा की बात न मानकर पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र के यहॉ गया जिस पर मुकदमा दर्ज कर परिवादी का मेडिकल कराने के बाद कार्यवाही करने हेतु कोतवाली राबर्ट्सगंज को निर्देशित करते हुए परिवादी को कोतवाली भेजा गया तथा प्रार्थना पत्र के संदर्भ में एक रसीद भी परिवादी को दी गयी। परिवादी पुनः कोतवाली आया तो दरोगा जी फिर वही पुरानी बात रूपया निकालने वाली दोहराने लगे। तब परिवादी मजबूर होकर अपना मेडिकल जिला अस्पताल लोढ़ी जाकर करवाया। कार्यवाही न होने पर दिनेश की औरत गीता व परिवादी की औरत को मारने की नियत से चौवाह बाबा के यहॉ शिकायत की रंजिश से दौड़ा लिया। वहॉ पर मॉ के आ जाने पर पत्नी की जान बची। परिवादी इसकी सूचना तहसील दिवस राबर्ट्सगंज में दिया। उसके बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर किया जब वहां से भी कार्यवाही नहीं हुई तो मामले की रजिस्टर्ड सूचना दिनांक 30.12.2020 को पुनः पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसी

स्थिति में उक्त आधार पर विपक्षीगण को तलब कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

परिवादी ने परिवाद कथानक के समर्थन में स्वयं को धारा–200 दं.प्र. सं. के अन्तर्गत परीक्षित कराया है तथा धारा–202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत शिव कुमार सी.डब्लू.–1 व कौशिल्या सी.डब्लू.–2 को परीक्षित कराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद, तहसील दिवस में दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, सम्पूर्ण समाधान दिवस में दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, जिला संयुक्त चिकित्सालय का ओ.पी.डी. पर्चा की छायाप्रति, मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति आदि दाखिल किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने बयान अं.धारा–200 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि''घटना आज से लगभग 10 माह पहले की है। मैं काम करके लगभग 7.00 बजे शाम को अपने घर जा रहा था तभी अमरजीत और दिनेश राबर्ट्सगंज रेलवे क्रासिंग के पास पुलिया पर बैठे थे। मुझे देखकर दोनों विपक्षीगण मुझे रोक कर तम्बाकू मॉगे। मैंने कहा कि सुर्ती नहीं है तो दोनों मुल्जिमान गाली–गलौज मॉ–बहन की देकर मुझे मारे–पीटे और मैं 1200/–रू0 लिया था उसे भी छीन लिए। उक्त रूपया मैं खाद के लिए ड्राइवर से लिया था। मैं कोतवाली गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किये। मेरे माथे पर और चेहरे पर चोट आयी थी। मैं अपना सरकारी अस्पताल में इलाज कराया था। एस.पी. को शिकायत किया था''।

अतः मामले में इस स्तर पर परिवादी का प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना है, न तो साक्ष्य का सम्पूर्ण विश्लेषण इस स्तर पर किया जाना अपेक्षित है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन से विपक्षीगण दिनेश पासवान व अमरजीत को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323, 504, 379 भा0दं0सं0 में आहूत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के परिशीलन से न्यायालय की राय में विपक्षीगण दिनेश पासवान व अमरजीत को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323, 504, 379 भा.दं.सं.में आहूत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अभियुक्तगण दिनेश पासवान व अमरजीत को प्रथम दृष्टया विचारण हेतु धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं.में आहूत किया जाता है। अभियुक्तगण जरिए सम्मन तलब हो।

परिवादी को आदेशित किया जाता है कि धारा–204 दं.प्र.सं. की पैरवी एवं लिस्ट गवाहान अविलम्ब दाखिल करे।

पत्रावली दिनांक 21.04.2023 को वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण पेश हों।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सोनभद्र